अध्यक्ष-सह-विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 07.02.2024 को हाइब्रिड मोड में आयोजित 65वीं प्राधिकरण बैठक का कार्यवृत्त।

MINUTES OF THE 65th AUTHORITY MEETING HELD ON 07.02.2024 IN HYBRID MODE, UNDER THE CHAIRMANSHIP OF DEVELOPMENT COMMISSIONER/CHAIRPERSON, SEEPZ-SEZ AUTHORITY.

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

The following were present:-

1. श्री सी.पी.एस. चौहान, संयुक्त विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़	सदस्य/सचिव	1. Shri C.P.S Chauhan, JDC, SEEPZ SEZ	Member/ Secretary
2. श्री अभय दोशी, प्रबंध निदेशक, मेसर्स फाइन लाइन सर्किट्स लिमिटेड	सदस्य	2. Shri Abhay Doshi, MD, M/s. Fine Line Circuits Ltd.	Member
3 श्री आदिल कोतवाल, अध्यक्ष /मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेसर्स क्रिएशन्स ज्वेलरी एमएफजी प्राइवेट लिमिटेड	सदस्य	3. Shri Adil Kotwal, Chairman/ CEO M/s. Creations Jewellery Mfg. Pvt. Ltd.	Member
4. श्री हिमांशु धर पांडे, विदेश व्यापार उप महानिदेशक	सदस्य	4 Shri Himanshu Dhar Pandey, Dy. Directorate General of Foreign Trade	Member
5. डॉ. प्रसाद वरवंटकर , उप विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़	संपदा अधिकारी	5 Dr.Prasad Varwantkar, DDC, SEEPZ-SEZ	Estate Officer

<u>संपदा संबंधी मुद्दों के लिए विशेष आमंत्रण-:</u>	**<u>Special Invites for Estate related Issues :-</u>**
- श्री मेहुल शाह, मेसर्स स्टार ब्रिलियन प्राइवेट लिमिटेड, कार्यसूची मद सं .10 के लिए। श्री प्रसाद वरवंटकर, उप विकास आयुक्त,/संपदा अधिकारी, श्रीमती ब्रिजिट जो, विकास आयुक्त की कार्यपालक सहायक, श्री हनीश राठी, सहायक विकास आयुक्त, (सुरक्षा(आईटी/, श्रीमती रेखा नायर, सहायक विकास आयुक्त, (ई एंड आर(कानूनी/, श्री रवींद्र कुमार, सहायक और श्री राजेश कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक भी बैठक में सहायता और सुचारू संचालन के लिए उपस्थित हुए। अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और उसके बाद बैठक की एजेंडे पर विचार किया गया।	- Shri Mehul Shah, M/s. Star Brillian Pvt. Ltd. for Agenda item no. 10. Shri Prasad Varwantkar, DDC/ Estate Officer, Smt. Bridget Joe, EA to DC, Shri Hanish Rathi, ADC (Security/IT), Smt. Rekha Nair, ADC (E&R/Legal), Shri Ravindra Kumar Assistant and Shri Rajesh Kumar, UDC also attended for assistance and smooth functioning of the meeting. The Chairperson welcomed all the members present and thereafter agenda of the meeting was taken up.

कार्यसूची मद सं .1:- दिनांक 06.12.2023 को आयोजित 64वीं प्राधिकरण बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	**Agenda Item No. 1:-** Confirmation of the Minutes of the 64th Authority meeting held on 06.12.2023.
निर्णय: विचारविमर्श के बाद-, प्राधिकरण ने सर्वसम्मति से दिनांक 06.12.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की और निर्देशित किया- : (1) संबंधित उप शीर्षकों के तहत विस्तृत व्यय-प्रस्तुत करने के लिए। (2) मौजूदा जनशक्ति सेवा प्रदाता के माध्यम से 02 पूर्णकालिक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्त करना। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय ने सीए अनुभाग की जांच निरीक्षण करने और रिपोर्ट/करने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया। (3) वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्सिंग एजेंसी यानी मेसर्स अवध बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट (आई) लिमिटेड के माध्यम से या लघु निविदा के माध्यम से सीप्ज़ की आवासीय कॉलोनी के पुनर्विकास के लिए एक सलाहकार को नियुक्त करें। (4) संपदा अधिकारी को एएफआईएच डॉक्टरों की सुविधा के साथ एक पूर्ण विकसित स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना पर एक विस्तृत योजना तैयार करने का निर्देश दिया।	**Decision:** After deliberation, the Authority confirmed the Minutes of the meeting held on 06.12.2023 with consensus and directed to:- a. Submit the detailed expenditure under the respective sub-heads. b. Engage full time 2 nos. of Chartered Accountant through existing manpower Service provider. Further, Chairman directed to form a committee to examine/inspect CA section and submit the report. c. Hire a consultant through outsourcing agency on boarded at present i.e. M/s Avadh Business Services (I) Pvt Ltd or through short tender for re-development of Residential colony of SEEPZ. d. The Estate Officer to chalk out a detailed plan on establishment of a full pledged health centre along with facility of AFIH doctors.
कार्यसूची मद सं .1- क-: सीप्ज़सेज़ प्राधिकरण के -में मासिक अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरण व्यय का विवरण, व्यय का प्रतिशत एवं शेष का लेखाजोखा प्रस्तुत करना।- सीप्ज़ सेज़ प्राधिकरण ने वित्त वर्ष-2023-24 के लिए 313.90 करोड़ रुपये के वार्षिक वित्तीय विवरणी को स्वीकृति दी थी। बजटीय व्यय का भुगतान संबंधित बजटीय मद से किया जाता है। दिनांक 01-04-2023 से 03.02.2024 तक बजट के उपयोग का विवरण सीप्ज़सेज़ प्राधिकरण को -प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक बजट मद के अनुसार संक्षिप्त बजट व्यय भी प्रस्तुत किया गया था।	**Agenda Item No. 1A:-** Submission of Monthly expenditure accounts percentage of expenditure and balance in the approved annual financial statement of the SEZ Authority. The SEEPZ SEZ Authority had approved an Annual Financial Statement of Rs.313.90 Cr. for the FY 2023-24. The budgeted expenditures are paid from respective budgeted head. The details of utilization of budget from 01-04-2023 to 03.02.2024 are submitted to SEEPZ SEZ Authority. The summarized budgeted expenditure

	as per each budgeted head was also submitted.
निर्णय: विचारविमर्श के बाद-, समिति ने 01-04-2023 से 03.02.2024 तक बजट के उपयोग का विवरण नोट किया और आगे किए गए व्यय की बेहतर तुलना के लिए उन परियोजनाओं का व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिनके लिए किए गए प्रावधानों की तुलना में बेहतर प्रावधान किए गए थे।	**Decision:** After Deliberation, the Committee noted the details of utilization of budget from 01-04-2023 to 03.02.2024 and further directed to submit individual details of the projects for which the provisions were made for better comparison of the expenditure done vis-à-vis provisions made.
कार्यसूची मद सं. 2:- कार्य की तत्काल प्रकृति के लिए तत्काल उपयोग के लिए 30,000/- रुपये की अग्रदाय राशि अग्रिम नकद बढ़ाने/का प्रस्ताव, जिसे फिर से 1,00,000/- रुपये पर वापस कर दिया जाएगा। संपदा अधिकारी को दी गई अग्रदाय राशिअग्रिम / नकद रोजमर्रा के काम के भुगतान के लिए अपर्याप्त है। चूंकि30,000/- रुपये की सीमा रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए यह प्रस्तावित है कि अग्रदाय खाते की सीमा को 1,00,000/- रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।	**Agenda Item No. 2:-** Proposal for increase Imprest/advance cash of Rs. 30,000/- for immediate usage for urgent nature of work to Rs. 1,00,000/-. Imprest/Advance cash granted to the Estate Officer is insufficient to disposal of Payment of day to day work. As the limit of Rs. 30,000/- is not sufficient to meet the day to day requirements, it is proposed that the limit of Imprest Account may be enhanced to Rs. 1,00,000/-
निर्णय: विचारविमर्श के बाद-, प्राधिकरण ने अत्यावश्यक प्रकृति के कार्यों के लिए तत्काल उपयोग के लिए 1,00,000/- रुपये की अग्रिम नकद राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। प्राधिकरण ने अग्रदाय निधि के माध्यम से किए गए व्यय का मासिक विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।	**Decision:** After deliberation, the Authority approved the proposal for increase of Imprest/advance cash of Rs. 1,00,000/- for immediate usage for urgent nature of work. The Authority directed to submit monthly statement expenditure incurred through Imprest before the Authority in its meetings.

कार्यसूची मद सं .3:- प्राधिकरण निधि, 2023-24 से मेसर्स जी ए डिजिटल वेब वर्ड प्राइवेट लिमिटेड को 10,41,662/- रुपये का भुगतान किया गया।

आरपीएओ से धनराशि प्राप्त होने में देरी के कारण, प्रशासन अनुभाग ने सीप्ज़ सेज़ प्राधिकरण से- 10,41,662/- रुपये का भुगतान करने (जीएसटी सहित) का अनुरोध किया है और एक बार प्रशासन अनुभाग में बजट उपलब्ध होने पर उतनी ही राशि प्राधिकरण को वापस कर दी जाएगी। तदनुसार, अक्टूबर और नवंबर, 2023 के महीने के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन के लिए मेसर्स जी ए डिजिटल वेब वर्ड प्राइवेट लिमिटेड को 10,41,662/- रुपये का भुगतान जारी (जीएसटी सहित) किया गया है।

निर्णय: विचारविमर्श के बाद-, प्राधिकरण ने मेसर्स जी ए डिजिटल वेब वर्ड प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकरण निधि, 2023-24 से 10,41,662/- रुपये के भुगतान को मंजूरी दे दी और निर्देश दिया कि भारत सरकार के बजट से रिफंड के बाद उसे जानकारी के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा जाए।

<u>Agenda Item No. 3:-</u> Payment made to M/s. G. A. Digital Web Word Pvt Ltd. amounting to Rs. 10,41,662/- from Authority fund, 2023-24.

Due to delay in receipt of funds from RPAO, the Administration Section under DC office has requested to make the payment of Rs. 10,41,662/- (inclusive of GST) from SEEPZ-SEZ Authority accounts and once the budget is available in Admin Section the same amount will be refunded back to the Authority. Accordingly, the payment amounting to Rs. 10,41,662/- (inclusive of GST) has been released to M/s. GA Digital Web Word Pvt. Ltd. towards salaries of outsourced employees for the month of October and November, 2023.

<u>Decision:</u> After deliberation, the Authority approved the payment made to M/s. G. A. Digital Web Word Pvt Ltd. amounting to Rs. 10,41,662/- from Authority fund, 2023-24 and directed that after refund from the Government of India budget the same should be placed before the Authority for information.

कार्यसूची मद सं .4:- "स्वस्थ नारी विकसित भारत" पर 3 वीडियो) 5 मिनट का एक वीडियो छोटी अवधि के +2 वीडियोका प्रस्ताव। (

इस प्राधिकरण ने, सभी यूनिट धारकों के साथ मिलकर दिनांक 19.12.2023 से 25.01.2024 तक सीप्ज़सेज़ में - बीएफसी बिल्डिंग में "स्वस्थ नारी विकसित भारत" विषय के तहत महिला स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिससे सीप्ज़ की 10000 से अधिक महिला कर्मचारी लाभान्वित हुईं। विभिन्न मंचों पर परिणामों को पेशेवर तरीके से प्रदर्शित करने और इस आयोजन की स्मारिका के रूप में बेहतर गुणवत्ता के वीडियो का बनना आवश्यक है। मेसर्स ग्रीन सिग्नल एंटरटेनमेंट के पिछले अनुभव के आधार पर, जिन्होंने इन परियोजनाओं के उद्घाटन पर माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष प्रस्तुति के लिए मेगा सीएफसी और एनईएसटी 1 परियोजना के वीडियो बनाए थे, उनसे इन वीडियो को बनाने के लिए 4,00,000 रुपये के 3 वीडियो)5 मिनट का एक वीडियो छोटी अवधि के +2 वीडियोके लिए कोटेशन (मांगा गया था।

निर्णय-: विचारविमर्श के बाद-, समिति ने मेसर्स ग्रीन सिग्नल एंटरटेनमेंट से "स्वस्थ नारी विकसित भारत" पर 3 वीडियो)5 मिनट का एक वीडियो छोटी अवधि के +2 वीडियोकी खरीद के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई (क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता और व्यावसायिकता साबित कर दी थी। हाल ही में उन्होंने मेगा सीएफसी और एनईएसटी01 के उद्घाटन के लिए बहुत ही कम समय में गुणवत्तापूर्ण वीडियो उपलब्ध कराया था।

कार्यसूची मद सं .5:- मेगा सीएफसी में टेंडर बीओक्यू से परे अतिरिक्त कार्यों और मदों के लिए स्वीकृति।

निर्माण और आंतरिक कार्यों के दौरान, यह देखा गया कि कुछ कार्य BoQ का हिस्सा नहीं थे या कार्य को पूरा करने के लिए BoQ की मात्रा पर्याप्त नहीं थी। चूंकि काम समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है, इसलिए ठेकेदारों को काम पूरा करने और आरएफपीसंविदा करार के नियमों /

Agenda Item No. 4:- Proposal for 3 videos (one 5 minutes video + 2 short duration videos) on "Swasth Nari Vikasit Bharat".

This Authority, in association with all unit holders, had organized a women health check up and health awareness programme under theme "Swasth Nari Vikshit Bharat" at BFC Building in SEEPZ SEZ from 19.12.2023 to 25.01.2024 wherein over 10000 women employees at SEEPZ were benefited. To showcase the outcome at various forums in a professional manner and as a souvenir of this event, it is necessary to have videos of better quality. Based on the previous experience of M/s Green Signal Entertainment, who made the videos of Mega CFC and NEST 1 project for presentation before Hon'ble Prime Minister at the inauguration of these projects, quotation was asked for 3 videos (One 5 minute video + 2 short duration videos) of Rs 4,00,000 for making these videos.

Decision: - After deliberation, the Committee approved the proposal for procurement of 3 videos (one 5 minutes video + 2 short duration videos) on "Swasth Nari Vikshit Bharat" from M/s Green Signal Entertainment as they had proved their competence and professionalism by providing quality video in recent past at a very short notice for Mega CFC and NEST 01 inauguration.

Agenda Item No. 5:- Approval for additional works and items beyond the Tender BoQ at Mega CFC.

During the Construction and Interior works, it was observed that some works were not part of the BoQ or the BoQ quantities were not sufficient to complete the works. Since the works are to be completed in a time bound manner, the Contractors were asked to carry out the works and submit the

और शर्तों के अनुसार मामले की जांच औरनिर्णय के लिए निविदा मूल्यांकन समिति के समक्ष विवरणमात्रा प्रस्तुत / करने के लिए कहा गया था। मेगा सीएफसी के मामले में टीईसी द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को पुष्टि के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा गया है।

निर्णय-: विचारविमर्श के बाद-, प्राधिकरण ने मेगा सीएफसी परियोजना के लिए अतिरिक्त कार्य औरया / अतिरिक्त मात्रा के संबंध में टीईसी द्वारा लिए गए निर्णय की पुष्टि की। इसके अलावा, प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि टीईसी को ऐसी प्रकृति का निर्णय लेने का अधिकार है और इन मामलों को केवल जानकारी के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा जाना चाहिए।

कार्यसूची मद सं .6:- परिचालन और रखरखाव के मुद्दों के संबंध में एसडीएफ-VIII के लिए सहकारी समिति के गठन का प्रस्ताव।

एसडीएफ VIII के यूनिट धारकों ने एसडीएफ VIII इमारत के संचालन और रखरखाव के संबंध में कई मुद्दों की सूचना दी और यह भी सुझाव दिया कि वे एक सहकारी समिति बनाना चाहते हैं जो इमारत के दिनप्रतिदिन के संचालन - औररखरखाव की देखभाल करेगी।

निर्णय- : विचारविमर्श के बाद-, प्राधिकरण ने सरकारी पट्टे वाली इमारत में सोसायटी के गठन के लिए कानूनी राय प्राप्त करने का निर्देश दिया और तब तक यूनिट धारकों को इमारत की संरचना को प्रभावित किए बिना इमारत के दैनिक रखरखाव का कार्य स्वयं करने की अनुमति दी।

कार्यसूची मद सं .7:- बीएफसी बिल्डिंग में पूरे फायर सिस्टम और उसके डीजी सेट की व्यापक मरम्मतप्रतिस्थापन।/

बीएफसी बिल्डिंग का निर्माण वर्ष 2009 में एमआईडीसी द्वारा किया गया था और एमआईडीसी के तकनीकी मार्गदर्शन के साथ सीप्ज़सेज़ प्राधिकरण द्वारा इसका - रखरखाव किया जाता है। सीप्ज़ के लिए एसपीए होने के

details/quantities before the Tender Evaluation Committee for examination and decision in the matter as per the terms and conditions of RFP/Contract Agreement. All decision taken by TEC in the matter of Mega CFC have been placed before Authority for confirmation.

Decision: - After deliberation, the Authority confirmed the decision taken by TEC in respect of additional work and/ or additional quantity for the Mega CFC project. Further, Authority decided that TEC is empowered to take decisions of such nature and these matters should be put up before authority for information only.

Agenda Item No. 6:- Proposal for formation of Cooperative Society for SDF-VIII regarding operational and maintenance issues.

SDF VIII unit holders have reported a number of issues regarding the operation and maintenance of the SDF VIII building and have also suggested that they wish to form a co-operative society that will look after the day-to-day operation and maintenance of the building.

Decision: - After deliberation, the Authority directed to obtain a legal opinion for formation of society in govt. leased building and till then allowed the unit holder to undertake the day to day maintenance of the building on their own without affecting the structure of the building.

Agenda Item No. 7:- Comprehensive repair/ replacement of whole fire system & its DG Set at BFC Building.

BFC Building was constructed by MIDC in 2009 and is maintained by SEEPZ SEZ Authority with technical guidance from MIDC. MIDC, being SPA for SEEPZ, was asked to provide the DPR on 29.06.2023 for execution of

नाते एमआईडीसी को कार्य के निष्पादन के लिए 29.06.2023 को डीपीआर प्रदान करने के लिए कहा गया था। तदनुसार, उन्होंने बीएफसी बिल्डिंग फायर सिस्टम और इसके डीजी सेट की मरम्मत के लिए लगभग 72,28,000/- रुपये का एक अस्थायी अनुमान बताया है।

बीएफसी भवन के निरीक्षण के बाद श्री वीएन सुपनेकर के साथ बैठक (आपदा प्रबंधन सलाहकार) आयोजित की गई और उनकी राय के अनुसार, डीजी सेट, फायर पाइप से लेकर अग्निशामक यंत्र, स्प्रिंकलर, फायर अलार्म सिस्टम आदि को बदलने के लिए एक समग्र अभ्यास की आवश्यकता है। आवश्यक व्यापक कार्य को देखते हुए, उन्होंने एमआईडीसी द्वारा प्रस्तुत डीपीआर के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी है।

निर्णय- : विचारविमर्श के बाद-, प्राधिकरण ने बीएफसी बिल्डिंग में पूरे फायर सिस्टम और इसके डीजी सेट की व्यापक मरम्मत/ प्रतिस्थापन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

कार्यसूची मद सं .8:- सीप्ज़सेज़-, अंधेरी (पू), मुंबई में कार्यों के लिए पीएसयू पीएमसीमेसर्स वैपकॉस लिमिटेड - को शामिल करने का प्रस्ताव।

जीएफआर 2017 के नियम 133 (3) के संदर्भ में कार्यों के लिए पीएसयू की नियुक्ति के लिए रुचि की अभिव्यक्ति 14 दिसंबर, 2023 को सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित की गई थी और 27 दिसंबर, 2023 को खोली गई थी। ईओआई को कुल 06 (छहआवेदन प्राप्त हुए। निविदा मूल्यांकन समिति (ने बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का मूल्यांकन किया विमर्श के बाद सर्वसम्मति से ईओआई -और उचित विचार में वांछित कार्यों के लिए मेसर्स वैपकॉस लिमिटेड को शामिल करने का निर्णय लिया।

निर्णय-: विचारविमर्श के बाद-, प्राधिकरण ने सीप्ज़सेज़ में - मेसर्स वैपकॉस -कार्यों के लिए पीएसयू पीएमसी लिमिटेड को शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।

the work. Accordingly, they have conveyed a tentative estimate for Repair of BFC Building Fire System & its DG Set amounting to approx. Rs. 72, 28,000/-.

Meeting was conducted with Shri. V.N Supanekar (Disaster Management Consultant) after his inspection of BFC Bldg. and as per his opinion, it requires a holistic exercise right from changing DG Set, fire pipes to fire extinguishers, sprinklers, fire alarm system, etc. Looking at the exhaustive work required to be carried out, he has advised to proceed with DPR submitted by MIDC.

Decision: - After deliberation, the Authority approved the proposal for Comprehensive repair/ replacement of whole fire system & it's DG Set at BFC Building.

Agenda Item No. 8:- Proposal for on boarding of PSU PMC - M/s. WAPCOS Limited for works at SEEPZ, SEZ Andheri (E), Mumbai.

The Expression of Interest for engagement of PSU for works in terms of Rule 133 (3) of GFR 2017 was published on CPP Portal on 14th December, 2023 and was opened on 27th December, 2023. The EoI received a total of 06 (Six) applications. The Tender Evaluation Committee evaluated the applications submitted by the bidders and after due deliberation decided with consensus to engage M/s. WAPCOS Ltd for the desired works in EoI.

Decision: - After deliberation, the Authority approved the proposal for on boarding of PSU PMC - M/s. WAPCOS Limited for works at SEEPZ, SEZ.

कार्यसूची मद सं .9:- मेसर्स एसपीएसपीएल को सुरक्षा जनशक्तिसंविदा प्रदान करना और एल-2 बोलीदाता मेसर्स एसआईएसपीएल द्वारा उनके खिलाफ शिकायत के बारे में जानकारी।

प्राधिकरण को एल1 बोलीदाता के रूप में मेसर्स एसपीएसपीएल को सुरक्षा मैन पावर सेवा संविदा दिए जाने के बारे में सूचित किया गया था। लेकिन L-2 बोलीदाता ने L-1 बोलीदाता के दस्तावेज़ों के बारे में शिकायत की। मेसर्स एसपीएसपीएल ने औचित्य प्रदान किया और बीएमसी लाइसेंस की प्रामाणिकता की पुष्टि की। हालाँकि, सेवा प्रदाता ने बॉम्बे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस आवेदन में टाइपोग्राफ़िकल त्रुटि को स्वीकार किया, माफी मांगी और सुनिश्चित किया कि भविष्य में गलतियाँ नहीं होंगी।

प्राधिकरण को श्री चेतन सिंह से प्राप्त धमकी भरे कॉल के संबंध में एक अन्य मुद्दे के बारे में भी सूचित किया गया था, जो जी7 सिक्योरिटी सर्विसेज में सीनियर मार्केटिंग मैनेजर होने का दावा करते हैं और मेसर्स एसपीएसपीएल ने इस संबंध में श्री चेतन सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

निर्णय-: विचारविमर्श के बाद-, प्राधिकरण ने सुरक्षा जनशक्ति संविदा के संबंध में अद्यतनों को नोट किया।

कार्यसूची मद सं .10:- सभी बकाया शुल्कों यानी किराया बकाया, रखरखाव शुल्क, सेवा शुल्क आदि पर लगाए गए ब्याज और जुर्माने की छूट के लिए अनुरोध।

8 यूनिटों ने विभिन्न अपीलों के माध्यम से अदालत के समक्ष वसूली नोटिसबेदखली आदेश जारी करने पर /आदेश/ विवाद किया था, जिन्हें बाद में 22.12.2020 के फैसले के माध्यम से समान अवलोकन के साथ निपटाया गया था और मामलों को सीप्ज़सेज़ प्राधिकरण को इस निर्देश के साथ - वापस भेज दिया गया कि वे उनके सामने मौजूद सामग्री पर विचार करें और एक तर्कसंगत आदेश पारित करें। तदनुसार, व्यक्तिगत सुनवाई पर स्पीकिंग के आदेश जारी

Agenda Item No. 9:- Award of Security manpower contract to M/s SPSPL and information about complaint against them by L2 bidder M/s. SISPL.

The Authority was informed about the awarded of Security man power service contract to M/s SPSPL as a L1 bidder. But the L2 bidder complained about the L1 bidder's documents. M/s SPSPL provided justification and confirmed the authenticity of the BMC license. However, the service provider admitted to a typographical error in the Bombay Shop and Establishment License application, apologizing and ensuring future mistakes will not occur.

Authority was also informed about another issue regarding the threatening call received from Mr. Chetan Singh, who claims to be the Sr. Marketing Manager at G7 Security Services and M/s SPSPL have filed police complaint against Mr. Chetan Singh in this regard.

Decision: After deliberation, the Authority noted the updates in respect of security Manpower Contract.

Agenda Item No. 10:- Request for waiver of interest and penalty levied on all outstanding charges i.e. rental dues, maintenance charges, service charges etc.

8 Units had disputed the issuance of recovery notices/orders/Eviction orders before the Court of law vide Misc Appeals which were subsequently disposed off vide Judgment dated 22.12.2020 with similar observation and matters were remanded back to SEEPZ SEZ Authority with directions to consider the material before them and pass a reasoned order.

किए गए। हालांकि, कुल 8 यूनिटों में से केवल 3 यूनिटों ने उपपट्टा समझौते के निष्पादन और लीज किराए के बकाया - भुगतान के संबंध मेंसंपदा अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए सिटी सिविल कोर्ट मुंबई के समक्ष विविध अपील को प्राथमिकता दी है। अन्य 5 यूनिटों ने निर्देशानुसार भुगतान कर दिया है।

प्राधिकरण को सूचित किया गया था कि कुछ यूनिट धारकों ने दिनांक 01.02.2024 के पत्र के माध्यम से सभी बकाया शुल्कों यानी किराया बकाया, रखरखाव शुल्क, सेवा शुल्क आदि पर लगाए गए ब्याज और जुर्माने की छूट के लिए अनुरोध किया था और उन यूनिटों को भी, जिन्हें सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण से कोई बेदखली का आदेश नहीं मिला था।

निर्णय-: इस मुद्दे पर विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। ब्याज की माफी और मुकदमेबाजीके मुकाबले इसके लाभों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा प्राधिकरण ने सेज़ प्राधिकरण नियम, 2009 के नियम 7(6) पर चर्चा की जो निर्दिष्ट करता है कि-

"प्राधिकरण के पास परिसंपत्तियों और सेवाओं के संबंध में अपरिवर्तनीय पट्टा किराया, लाइसेंस शुल्क और अन्य उपयोगकर्ता शुल्क को बट्टे खाते में डालने की शक्तियां होंगी, बशर्ते कि एक लाख रुपये से अधिक की कोई भी हानि केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ होगी।"

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार यह चर्चा की गई थी कि 1 लाख रुपये से ऊपर की राशि को बट्टे खाते में डालने का निर्णय मंत्रालय से अनुमोदन के अधीन है, हालांकि नियम में किराया, लाइसेंस शुल्क और अन्य उपयोगकर्ता शुल्क का उल्लेख है और "ब्याज" पर कोई प्रयोज्यता नहीं दिखाई देती है और प्राधिकरण ने चर्चा कि की 'ब्याज लगाना' इस खंड का हिस्सा नहीं है। हालाँकि, विकास आयुक्त ने सुझाव दिया कि किसी भी लाभ की एकरूपता के लिए एक उचित योजना की परिकल्पना की आवश्यकता है। और ऐसे सभी मामलों को समान रूप से निपटाया जाना चाहिए।

Accordingly after personal hearing, speaking orders were issued. However, out of the total 8 units only 3 Units have preferred Misc. Appeal before City Civil Court Mumbai challenging the said orders passed by Estate Officer w.r.t. execution of sublease agreement and the payment of outstanding dues towards the lease rent. The other 5 Units have made the payment as per the directions.

The Authority was informed that some Unit holders vide letter dated 01.02.2024 requested for waiver of interest and penalty levied on all outstanding charges i.e. rental dues, maintenance charges, service charges etc. and also to those units which did not receive any eviction order from the SEEPZ SEZ Authority.

Decision: - The issue was discussed at length from various aspects. Waiver of interest and its benefits over litigation were also discussed. Further Authority discussed Rule 7(6) of SEZ Authority Rules, 2009 which specifies that-

"Authority shall have the powers to write off irrecoverable lease rent, licence fee and other user charges in respect of assets and services Provided that any write-off losses beyond the sum of rupees one lakh shall be with prior approval of the Central Government."

As per above provision it was discussed that the write off above Rs 1 Lakh are subject to the approval from Ministry, however the rule mentions of rent, license fee and other user charges and there appears no applicability on "interest" and Authority discussed ' levy of interest' is not a part of this clause. However, Development Commissioner suggested that for uniformity of any benefits, there is a requirement of envisaging a proper scheme. And all such matters should be dealt with uniformly. Therefore, it was decided that in order to put an end to the ongoing litigations

इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि कुछ यूनिट धारकों द्वारा एमआईडीसी द्वारा जारी आवंटन पत्र के आधार पर उनके परिसर के किराए की व्याख्या को लेकर चल रही मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए, लंबित बकाया राशि पर ब्याज की छूट के लिए विभिन्न अन्य सरकारी विभागों की तर्ज पर एक माफी योजना तैयार की जानी चाहिए, जो प्राधिकरण के अवरोधित फंड की वसूली के लिए एसईजेड प्राधिकरण नियमों द्वारा भी वर्जित नहीं है। उक्त योजना को प्राधिकरण की अगली बैठक में उसके समक्ष रखा जाये। इसमें मुकदमा दायर करने वाले वादियों के साथ अन्य यूनिट धारकों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनका किराया भी उनके समान बकाया है। इस योजना को सीप्ज़ में व्यापार सुविधा के हित में प्राधिकरण द्वारा लिया गया एक प्रगतिशील निर्णय माना जाना चाहिए और 30 दिनों की संक्षिप्त अवधि में एक बार मूल्यांकन होना चाहिए। इस मामले में कानूनी राय लेने का भी निर्णय लिया गया.

by some unit holders over interpretation of rent of their premises based on an allotment letter issued to them by MIDC, an Amnesty scheme should be formulated on lines of various other Govt. departments, for waiver of interest on pending dues, which is not barred by SEZ Authority Rules and also to recover the block funds of the Authority. The said scheme should be placed before Authority in its next meeting. It should also cover the other unit holders whose rent, are also due without equating them with the litigants. This scheme should be perceived as a progressive decision taken by Authority in the interest of trade facilitation at SEEPZ and should be one time measure for a brief period of 30 days. It was also decided to take a legal opinion in this matter.

कार्यसूची मद सं .11:- सार्वजनिक परिसर अनधिकृत) अधिनियम (कब्जेदारों की बेदखली, 1971 दिनांक 05.12.2023 की धारा 7 की उपधारा)3) के तहत वसूली नोटिस जारी करने पर अद्यतन स्थिति।

Agenda Item No. 11:- Updated status on the issuance of Recovery Notices under sub-section (3) of Section 7 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 dated 05.12.2023.

प्राधिकरण को सूचित किया गया था कि एसडीएफ, जी एंड जे कॉम्प्लेक्स, टॉवर I और II, बहुमंजिला इमारतों और भूखंडों में स्थित परिसर के उपयोग के लिए यूनिट धारकों से किराया अग्नि उपकर एकत्र / सेवा शुल्क / बीएमसी / किया जाना है। हालांकि, कुछ यूनिट धारकों ने उनसे बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भारी बकाया किराये का भुगतान नहीं किया था। इसलिए05.12.2023 को 18 यूनिट धारकों को रिकवरी नोटिस जारी किए गए, जिनका बकाया 5 लाख रुपये से अधिक था और 6 महीने से अधिक लंबित था। प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि पीएच प्रदान किया जा रहा है और यूनिटों से भुगतान करने का अनुरोध किया जा रहा है।

The Authority was informed that rent/BMC/Service Charges/Fire Cess are to be collected from the Unit Holders for usage of the premises located in SDFs, G&J Complex, Tower I&II, Multistoried Bldgs. and Plots. However, some of the Unit holders had not paid huge outstanding rental dues inspite of repeated requests made to them. Hence Recovery Notices were issued to 18 nos. of Unit Holders on 05.12.2023 whose outstanding dues were more than Rs. 5 lakhs and pending more than 6 months. Authority was also appraised that PH is being granted and Units are being requested to make the payment.

निर्णय-: विचारविमर्श के बाद-, प्राधिकरण ने रिकवरी नोटिस जारी करने और तदनुसार शुरू की गई कार्रवाई पर अद्यतन स्थिति नोट की।

तालिका कार्यसूची मद सं.1:- प्रवेश गेट पास प्रणाली के कार्यान्वयन पर अद्यतन स्थिति।

प्राधिकरण को प्रवेश एप्लीकेशन के चरणवार कार्यान्वयन के बारे में बताया गया। यह भी बताया गया कि, 1 फरवरी 2024 तक आवेदन में किए गए परिवर्तनों के साथ स्रोत कोड 05 फरवरी 2024 को एडीसी आईटी को सौंप दिए गए हैं और स्टोर रूम की अभिरक्षा में रखे गए हैं। जैसे ही डेवलपर यानी मेसर्स वीएएमएस सेफगार्ड प्राइवेट लिमिटेड सिस्टम को अपडेट करेगा, बाद के अपडेट के लिए सोर्स कोड सौंप दिए जाएंगे।

यह दोहराया गया कि पुराने गेट पास का आवेदन 1 फरवरी 2024 से बंद कर दिया गया है। यूनिट के पुराने गेटपास सिस्टम वॉलेट में शेष राशि और यूनिट कर्मचारियों के वैध पुराने गेटपास की आनुपातिक राशि, जो प्रवेश गेटपास सिस्टम के कार्यान्वयन के बाद बंद हो गई है, को यूनिट के नए प्रवेश गेटपास सिस्टम वॉलेट में स्थानांतरित किया जाएगा।

यह अवगत कराया गया कि प्रवेश गेट पास प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए गेट नंबर 1, 2 और 3 पर अतिरिक्त हार्डवेयर आवश्यकता की खरीद के प्रस्ताव को 09 अगस्त 2023 को आयोजित 62वीं प्राधिकरण बैठक में लगभग मंजूरी दे दी गई थी। लागत 7,00,000/- रुआवश्यक . प्रारंभिक हार्डवेयर खरीद लिया गया है और एप्लिकेशन का परीक्षण कार्यान्वयन कर लिया गयाहै।

Decision: - After deliberation, the Authority noted the updated status on the issuance of Recovery Notices and action initiated accordingly.

Table Agenda Item No.1:- Updated Status on the implementation of PRAVESH Gate pass system.

The Authority was informed about the Phase wise Implementation of Pravesh Application. It was also informed that, the source codes with the changes made in the application till 1st February 2024 have been handed over to ADC IT on 05th February 2024 and kept in store room custody. The source codes for subsequent updates will be handed over as soon as developer i.e. M/s VAMS Safeguard Pvt Ltd updates the system.

It was iterated that Old Gate Pass application has been discontinued from 1st February 2024. The balance amount in Unit's old gate pass system wallet and the proportionate amount of valid old gate passes of unit employees which are discontinued after the implementation of PRAVESH Gatepass system to be transferred in Unit's New Pravesh Gatepass System Wallet.

It was apprised that the proposal for procurement of additional hardware requirement at gate no. 1, 2 & 3 for implementation of PRAVESH Gate pass system was approved in the 62nd Authority meeting held on 09th Aug 2023 with an approx. cost of Rs. 7,00,000/-. Initial hardware required had been purchased and test implementation of application has been done.

निर्णय-: विचार विमर्श के बाद प्राधिकरण-ने प्रस्ताव की सिफ़ारिशों को मंजूरी दे दी:

1. 25 सितंबर 2023 से क्लाउड शुल्क का भुगतान किया जा सकता है क्योंकि प्रवेश गेट पास एप्लिकेशन 25 सितंबर 2023 से आंशिक रूप से लागू किया गया है और क्लाउड सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।
2. एडीसी की सिफारि (आईटी और सुरक्षा)श के अनुसार गोलाइव और सोर्स कोड हैंडओवर के - लिए भुगतान की30% राशि को यूनिटों द्वारा सूचित की गई सभी कमियों के सुधार तक रोका जा सकता है और 70% राशि समान मील के) (र के लिए पिछले सभी भुगतान सहितपत्थ वितरित की जा सकती है।
3. जैसा कि सूचित किया गया है कि तीसरे परिवर्तन अनुरोधों की सभी आवश्यकताओं का परीक्षण किया गया है, तदनुसार, बीटा परीक्षण शुल्क यानी तीसरे परिवर्तन अनुरोधों के लिए कार्य आदेश का 30% वितरित किया जाना है।
4. यूएटी यूनिटों और एडीसी की (आईटी एवं सुरक्षा) सिफारिश के बाद पूरी राशि जारी की जाएगी।

तालिका कार्यसूची मद सं .2:- प्रवेश एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए गेट (नया क्यूआर कोड गेटपास सिस्टम) नंबर 1, 2 और 3 पर इंटरनेट कनेक्शन के लिए इंडोर/ आउटडोर एक्सेस पॉइंट का प्रस्ताव।

प्राधिकरण को सूचित किया गया कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट प्रदान करके प्रवेश एक्सेस प्रबंधन प्रणाली नई) के सुचारू संचालन के लिए (क्यूआर कोड गेटपास प्रणाली गेट नंबर1, 2 और 3 पर निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है। सभी गेटों पर एक्सेस प्वाइंट लगने के बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी तेज और सुरक्षित हो जाएगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई की खरीद (एक्सेस पॉइंट) GeM पोर्टल के माध्यम से 22,00,000/- रुपये की अनुमानित लागत पर की जा सकती है।

Decision: - After deliberation, the Authority approved the recommendations of the proposal:

1. Cloud charges from 25th September 2023 may be disbursed as Pravesh Gate Pass Application has been partially implemented form 25th September 2023 and cloud services are being utilized.
2. As per recommendation by the ADC (IT & Security) 30 % amount of the payment milestone for Go-live and source code hand over may be held up till rectification of all shortcomings being informed by units and 70% amount (inclusive of all past payment for the same milestone) may be disbursed.
3. As informed that all requirements of 3rd change requests have been tested, accordingly, beta testing charges i.e. 30% of the work order for 3rd change request to be disbursed.
4. Complete amount will be released after recommendation by UAT Units and ADC (IT & Security).

Table Agenda Item No.2:- Proposal of indoor/outdoor Access point (AP) for internet connection at Gate no. 1, 2 & 3 for Pravesh Access management system (New QR code gatepass system).

The Authority was informed that seamless internet connectivity is essential at Gate no. 1, 2 & 3 for smooth working of Pravesh Access management system (New QR code gatepass system) by way of providing wireless Access point. After the installation of Access points at all gates, the internet connectivity will be fast and secure. The purchase of (Access point) WIFI for internet connectivity can be done via GeM portal at estimated cost of Rs. 22,00,000/-.

निर्णय-: विचारविमर्श के बाद-, प्राधिकरण ने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और बाजार सर्वेक्षण के माध्यम से इसके लिए उचित अनुमानित लागत का पता लगाने का निर्देश दिया और उपरोक्त प्रस्ताव को अंतिम रूप देने तक वैकल्पिक इंटरनेट समाधान की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

Decision: - After deliberation, the Authority deferred the proposal and directed to find out appropriate estimated cost for the same through market survey and directed to arrange alternative internet solution till finalization of above proposal.

अन्य:

उपरोक्त एजेंडे के अलावा, एमआईडीसी और अन्य एजेंसियों के पास लंबित परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। विचारविमर्श के बाद-, प्राधिकरण ने वर्तमान में चर्चा के तहत लंबित परियोजनाओं के लिए वैपकॉस)WAPCOS) को शामिल करने का निर्णय लिया।

Others:

Apart from above Agenda, there was a discussion on projects pending with MIDC & other Agencies. After deliberations, Authority decided to engage WAPCOS for the pending projects currently under discussion.

बैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

यह सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.
This issues with the approval of the Chairperson, SEEPZ SEZ Authority.

12.03.24

(सी.पी.एस. चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीप्ज़ सेज़,
सदस्य/सचिव